

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 845—पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 24—2—2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 746/2012—13/अपील.

लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री धनीराम
निवासी ग्राम दाने का पुरा (दुहिया)
तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरुद्ध
1—देवीराम पुत्र श्री थम्मा
2—रतीराम पुत्र श्री थम्मा
निवासीगण ग्राम दाने का पुरा (दुहिया)
तहसील व जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवारत्न, अभिभाषक—आवेदक
श्री आर.डी.शर्मा, अभिभाषक—अनावेदक क्रमांक 1
श्री सी०एम०गुप्ता, अभिभाषक—अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: २४/१/१५) को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—02—2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30—6—12 के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 29—4—13 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई । अतः विलम्ब क्षमा हेतु अवधि बाह्य की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । साथ ही आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं

होने पर सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करने हेतु संहिता की धारा 48 अंकित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24-2-15 को आदेश पारित कर अवधि बाह्य की धारा 5 का आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाकर निगरानी समाप्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 30-6-12 को केवल 8 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में विलम्ब का सदभाविक कारण दर्शाया गया था जिसे मान्य नहीं कर अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है। यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से नकल प्राप्त नहीं होने पर संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाण स्वरूप रसीद संलग्न की गई थी इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा संहिता धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। यह भी तक प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की ओर से समय सीमा के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष समय सीमा के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समय सीमा के बिन्दु पर विचार करें। यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह आधार लिया गया है कि अधिवक्ता द्वारा आवेदक को आदेश की सूचना नहीं दी गई है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया

१०११

गया कि संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें नकल प्राप्त नहीं हुई। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक के अभिभाषक द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये भी वह अपील प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समर्थन देते हुये गुणदोष पर अन्य तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जो कि प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं है इसलिये उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 48 एवं अवधि विधान की धारा 5 पर आधारित होकर आदेश पारित किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया था कि उसे प्रश्नाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो रही है और इसके समर्थन में नकल मॉग पत्र की रसीद प्रस्तुत की गई थी। अतः अपर आयुक्त को सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय देना चाहिये था इसी प्रकार अपर आयुक्त द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र केवल इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अनावेदकगण द्वारा जो प्रतिवाद किया गया उस प्रतिवाद के साथ अनावेदकगण द्वारा भी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपर आयुक्त को चाहिये था कि समय सीमा पर तथ्य का विश्लेषण कर निर्णय लेते। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-2-2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्त्तित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर

22d

अमृत

देकर अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर पुनः विचार कर निर्णय लें एवं धारा 48 के अन्तर्गत सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को समय दें।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 846—पीबीआर/2015 एवं निगरानी प्रकरण क्रमांक 1381—पीबीआर/2015 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।


(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
खालियर